भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

28.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3285 का उत्तर

लोको पायलटों की कार्य स्थितियां और शिकायतें

3285. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे में जोन-वार स्वीकृत किए गए और रिक्त लोको पायलट पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने लोको पायलटों के अधिक समय तक कार्य करने के कारण उनके स्वास्थ्य और रेलवे सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है, और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार कार्य के समय और रात्रि शिफ्ट पर अनुशंसित अधिकतम सीमा को लागू करने की योजना बना रही है, और यदि हां, तो इसके लिए समय-सीमा क्या है; और

(घ) भर्ती में देरी, रनिंग भत्ते में संशोधन और पेंशन योजनाओं से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल के आकार, भौगोलिक वितरण और परिचालन महत्व को ध्यान में रखते हुए पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, यंत्रीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति मुहैया कराई जाती है। रिक्तियों को मुख्यतः परिचालनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेन्सियों को मांग पत्र भेज कर नियमित आधार पर भरा जाता है।

SK

कोविड-19 के कारण लागू प्रतिबंधों में ढील देने के बाद, दो बड़ी परीक्षाओं जिनमें 2.37 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया, का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	केंद्र	दिवस	पालियां
एल2 - एल6	1.26 करोड़	211	726	68	133
एल1	1.1 करोड़	191	551	33	99

इन परीक्षाओं के आधार पर, रेलों में 1,30,581 अभ्यर्थियों की भर्ती की गई है।

वर्ष 2004-2005 से 2013-2014 की अवधि की तुलना में वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर की गई भर्तियां निम्नानुसार हैं-

अवधि	भर्तियां
2004-2005 से 2013-2024 तक	4.11 लाख
2014-15 से 2023-24 तक	5.02 लाख

पिछले दस वर्षों (अर्थात 2014-2015 से 2023-2024 तक) और चालू वर्ष अर्थात 2024-2025 (01.01.2025 तक) के दौरान, सहायक लोको पायलट (एएलपी) के पद के लिए 64,007 उम्मीदवारों को भर्ती किया गया है।

इसके अलावा, प्रणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' पदों की विभिन्न कोटियों में भर्ती के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की एक प्रणाली शुरू की है। वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत करने से अभ्यर्थियों को निम्नानुसार लाभ होगा:

- अभ्यर्थियों के लिए अधिक अवसर;
- प्रतिवर्ष योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अवसर;
- परीक्षाओं की निश्चितता;
- भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियों में तेज़ी।

तदनुसार, सहायक लोको पायलटों (18799 रिक्तियां), तकनीशियनों, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर(जेई)/डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस)/रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल कोटियों, गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां(स्नातक) और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक), मिनिस्टीरियल

एवं आइसोलेटेड कोटियों और लेवल-1 के पदों को भरने के लिए जनवरी से दिसम्बर, 2024 के दौरान 92116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत अधिसूचनाएं अधिसूचित की गई हैं।

45,708 पदों के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 25.11.2024 से 30.12.2024 तथा 02.03.2025 से 18.03.2025 तक दो चरणों में पूरी हो चुकी है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

परीक्षा	**अभ्यर्थी**	**शहर**	**केन्द्र**	**दिवस**	**पालियां**
एएलपी (18,799 रिक्तियां) के पद के लिए प्रथम चरण सीबीटी	18,40,347	156	346	5	15
आरपीएफ-एसआई पद के लिए सीबीटी (452 रिक्तियां)	15,35,635	143	306	5	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद के लिए प्रथम चरण सीबीटी (7,951 रिक्तियां)	11,01,266	146	323	3	9
तकनीशियन के पद के लिए सीबीटी (14,298 रिक्तियां)	26,99,892	139	312	9	27
आरपीएफ-कांस्टेबल पद के लिए सीबीटी (4208 रिक्तियां)	45,30,288	149	354	12	36

लोको पायलट भारतीय रेल परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो यात्री और माल यातायात को सुरक्षित और कुशल तरीके से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रेल लोको पायलटों के लिए उचित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोको पायलट निरंतर कोटि के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। रेल अधिनियम-1989 की धारा 132(2) में निरंतर कोटि के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए चौदह कार्य दिवस की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 54 घंटे प्रति सप्ताह की ड्यूटी घंटे निर्धारित किए गए हैं। “कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि”, 2005 के नियम-8 में लोको पायलटों के लिए प्रति सप्ताह चौदह कार्य दिवस की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 52 घंटे की ड्यूटी के घंटे होने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं अर्थात् भारतीय रेल पर अन्य “निरंतर” कोटि के कर्मचारियों के लिए कार्य के घंटे अधिकतम 54 घंटे से कम है। रेल अधिनियम, 1989 की धारा 132 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए लोको पायलटों को प्रतिफल दिया जाता है

SK

उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर 2016 में लोको पायलटों के ड्यूटी घंटों में कमी की गई। इन सिफारिशों के अनुसार, 10 घंटे की साइन ऑन से साइन ऑफ तक ड्यूटी के घंटे को घटाकर 9 घंटे कर दिया गया तथा 10+2 घंटे की ड्यूटी को भी घटाकर 9+2 घंटे कर दिया गया।

लोको चालक दल की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए रनिंग रूम के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- सभी 558 रनिंग कक्ष वातानुकूलित किए गए हैं।
- रनिंग कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विश्राम करने के लिए योग और ध्यान कक्ष, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के साथ वाचनालय की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- लोको पायलटों को रेलपथ और सिगनलों पर लगातार नजर रखनी होती है, जिससे हवाई जहाजों और सड़क वाहनों से भिन्न लोको में लंबी अवधि तक खड़े रहना होता है। इसलिए, लोको पायलटों को उचित आराम देने के लिए रनिंग रूम में पैर की मालिश करने वाले यंत्र आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।
- रनिंग रूमों में किफायती दरों पर भोजन मुहैया कराया जाता है।
- रनिंग रुमों में आरओ वाटर फिल्टरों की उपलब्धता।

लोको पायलटों को विभिन्न प्रकार के रनिंग भत्ते जैसे किलोमीटर भत्ता (केएमए), किलोमीटर के बदले भत्ता (एएलके) और विशेष प्रतिपूरक भत्ते जैसे दुर्घटना भत्ता, विश्राम भत्ता, घाट सेक्शन भत्ता, स्थानापन्न भत्ता, आउटस्टेशन (रूकौनी) भत्ता, आउटस्टेशन (रिलीविंग) भत्ता, प्रतीक्षा ड्यूटी भत्ता, रनिंग रूम सुविधाओं के बदले भत्ता, शंटिंग ड्यूटी भत्ता, ट्रिप भत्ता आदि का भुगतान किया जाता है। इन भत्तों को समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है।

भारतीय रेल 'पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीएंडपीडब्लू), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (एमओपीपीजीपी) की नीतियों/दिशानिर्देशों का पालन करती है,जो पेंशन मामलों पर भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है।

SK